

... 15-2-19 ...
... 28-3-19 ...
... 27-5-19 ...

वैयक्तिक अधिकारी राज्य कार्य/अवकाश/
संबंधित कार्य में व्यस्त रहने के कारण
... 28-3-19 ... की तारीख
... 27-5-19 ...
... की गई है। पेश हो।

वैयक्तिक अधिकारी राज्य कार्य/अवकाश/
संबंधित कार्य में व्यस्त रहने के कारण
... 27-5-19 ... की तारीख
... 15-7-19 ...
... की गई है। पेश हो।

वकील उमय पक्ष 30.1 पत्रा. कोर्ट
उपरोक्त जवाब दि. 16-9-19 को पेश है।

वैयक्तिक अधिकारी राज्य कार्य/अवकाश/
संबंधित कार्य में व्यस्त रहने के कारण
... 16-9-19 ... की तारीख
... 25-11-19 ...
... की गई है। पेश हो।

वैयक्तिक अधिकारी राज्य कार्य/अवकाश/
संबंधित कार्य में व्यस्त रहने के कारण
... 25-11-19 ... की तारीख
... 23-1-20 ...
... की गई है। पेश हो।

उपरोक्त पेश हुई वकील उमय पक्ष
उपस्थित / प्राथमिक व अपाथमिक व
उनके अधिवक्ताओं को बार-बार
ज्ञापन लगाते पर भी न्यायालय के
उपस्थित नहीं हुए। अतः प्राथमिक
पक्ष व अपाथमिक व
कारुण्य दर्शना पर न्यायालय के
द्वारा पेश की गयी श्रावण किया जाता
है। उपरोक्त पक्षों को न्यायालय के
निकट से कम होकर दायरे में पेश है।

वैयक्तिक अधिकारी राज्य कार्य/अवकाश/
संबंधित कार्य में व्यस्त रहने के कारण
... 1-19 ... की तारीख।
... 18-2-19 ...

